5-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13-9-19 को पेश हो।

13-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21-10-19 को पेश हो।

21-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित ~~[illegible]~~ समय अभाव के बहस नहीं सुनी जा सकी पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8-1-2020 को पेश हो।

4-12-19 वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तु करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील प्रति वादी भी ~~[illegible]~~ उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। अन्तिम डिक्री जारी की गई। पत्रावली नतीजा से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 029/2019

1 मनप्रीतसिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 गुरलाल सिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गुरसेवक सिह पुत्र गुरलालसिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 सर्वजीत कौर पुत्री गुरलालसिंह पत्नी स्वराजसिंह जाति जटसिख निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
5 एस.बी.आई. शाखा प्रबंधक नोरंगदेसर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री देवदत भिडासरा अधिवक्ता — वादी
2. श्री आशीष भिडासरा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05-12-2019

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता गुरलालसिंह के नाम से चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर 141/349 (3) किला नम्बर 24/1/.030 पत्थर नम्बर 142/352 (16) किला नम्बर 1 ता 10/2.529, 11 ता 14/.570 कुल 3.130 हैक्टर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह को अपने पिता मुख्त्यारसिंह पुत्र अमरसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। और वादग्रस्त जद्दी जायदाद में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बतौर कोपाश्नर बहिस्सा बराबर के हकदार है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण बतौर कोपाश्नर जन्म से हक व हिस्सा है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हितो पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए वादी इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादपत्र कि चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवर की जद्दी जायदाद होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है।

लगातार 2

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक बहिस्सा बराबर अर्थात 1/4 हिस्सा के हकदार है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 वादी कि बहिन व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 की शादी व छुछक आदि में पूरा दान दहेज दिया है।

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने भाईयों व पिता से स्नेहवश वादग्रस्त भूमि में अपना कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है व जदी दायदाद में अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में बहिस्सा बराबर के अर्थात प्रत्येक 1/3 हिस्सा के हकदार है और इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है। एवं घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वे वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का मुताबिक हिस्सा घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ले व खाता अलग–अलग कायम करवा लेवे पहले तो वह टालमटोल करते रहे आखिर आज से एक सप्ताह पूर्व वह मुकाम नोरंगदेसर में कतई इन्कार हो गया यही बिनाय मुखास्मात दावा है।

प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध वादपत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है वाद घोषणा का होने के कारण बतौर भू–धारक पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 5 के भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद है व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर देने के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सम्पूर्ण भूमि में बहिस्सा बराबर के हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष हो तो नजदीक अदालत हाजा हो तो दिलावाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। तिवदी संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादी को स्वीकार करते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है, तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होनें का कथन किया।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाता है, तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (गुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह के नाम चक नम्बर चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर 141/349 (3) किला नम्बर 24/1/.030 पत्थर नम्बर 142/352 (16) किला नम्बर 1 ता 10/2.529, 11 ता 14/.570 कुल 3.130 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद स्वीकार होनें के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह के नाम चक नम्बर चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर 141/349 (3) किला नम्बर 24/1/.030 पत्थर नम्बर 142/352 (16) किला नम्बर 1 ता 10/2.529, 11 ता 14/.570 कुल 3.130 हैक्टर भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्ठि को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी मनप्रीतसिंह पुत्र गुरलालसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 गुरसेवकसिंह पुत्र गुरलालसिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

लगातार 4

Web Copy, Not Official

Scanned by CamScanner

7

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 029/2019

1 मनप्रीतसिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील तहसील व जिला हनुमानगढ़। **– – वादी**

–:: बनाम ::–

1 गुरलाल सिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गुरसेवक सिह पुत्र गुरलालसिंह जाति जटसिख निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 सर्वजीत कौर पुत्री गुरलालसिंह पत्नी स्वराजसिंह जाति जटसिख निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
5 एस.बी.आई. शाखा प्रबंधक नोरंगदेसर। **– – प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय दिनांक :– 05.12.2019

वादी की और से श्री देवदत भिडासरा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री आशीष भिडासरा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 05.12.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह के नाम चक नम्बर चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर 141/349 (3) किला नम्बर 24/1/.030 पत्थर नम्बर 142/352 (16) किला नम्बर 1 ता 10/2.529, 11 ता 14/.570 कुल 3.130 हैक्टर भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्ठि को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी मनप्रीतसिंह पुत्र गुरलालसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 गुरलालसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 गुरसेवकसिंह पुत्र गुरलालसिंह को बहिरसा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.30 16:22:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: